संख्या-24/2015/4272 /71-2-14-के0जी0एम0यू0-68/2014

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक मार्च, 2015**

विषय- के0जी0एम0यू0 के लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-697/दस-2014-8 (मु0स0स0)/2011, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में लिये गये निर्णयों तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-664/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 26 सितम्बर, 2013 में लिये गये निर्णयों, जिसमें छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0, लखनऊ) के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गों पर राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय विभागों के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में लागू व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, के क्रम में राज्यपाल महोदय के0जी0एम0यू0 लखनऊ के वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पदों पर वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- के स्थान पर दिनांक 24 सितम्बर, 2014 से वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008 दिनांक 29 जून, 2010 एवं सपठित शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-117/दस-2015, दिनांक 23 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

संख्या-24/2015/4272/71-2-2014-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1/2
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in